न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया आर ए एस

राजस्व अपील / 225 / रा.का.अधि. / 45 / 2017 / बाड़मेर

अपीलांट	बनाम	रेस्पोंडेंटगण
1. अर्जुनसिंह पुत्र मिश्रीमलसिंह 2. भीमसिंह पुत्र मिश्रीमलसिंह 3. सवाईसिंह पुत्र मिश्रीमलसिंह 4. सरूपसिंह पुत्र मिश्रीमलसिंह 5. भरतसिंह पुत्र मिश्रीमलसिंह अपीलांट संख्या 03 से 05 नाबालिग जरीये कुदरती वली माता श्रीमती सुआदेवी पत्नी मिश्रीमलसिंह 6. श्रीमती सुआदेवी पत्नी मिश्रीमलसिंह 7. ओमसिंह पुत्र किशनसिंह 8. बस्तसिंह पुत्र सोखसिंह 9. खेतसिंह पुत्र प्रभुसिंह 10. रावतसिंह पुत्र प्रभुसिंह 11. श्रीमती सितादेवी पत्नी प्रभुसिंह 12. उदयसिंह पुत्र मुकनसिंह 13. जगमालसिंह पुत्र मुकनसिंह 14. रावतसिंह पुत्र मुकनसिंह 15. गब्बरसिंह गोदपुत्र नेनूदेवी पत्नी केशरसिंह उम्र 52 वर्ष कोम पुरोहित निवासी बलदेवनगर पीपराली तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर	1. नरसीराम पुत्र वीराराम 2. दमाराम पुत्र वीराराम जाति जाट निवासी बलदेवनगर तहसील गुड़ामालानी 3. शाखा प्रबन्धक, एसबीबीजे शाखा गुड़ामालानी 4. श्रीमान तहसीलदार गुड़ामालानी	

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी द्वारा राजस्व आवेदन संख्या

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

213/2015 बअनवान नरसिंगाराम बनाम अर्जूनसिंह वगैरा में पारित आदेश दिनांक 03.06.2017 के विरूद्ध पेश हुई ।

उपस्थित

1. वकील श्री नारायण कुमावत अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री रावताराम प्रजापत रेस्पोडेण्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः—08.12.2022

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उतरदाता संख्या 01 ने अधीनस्थ अदालत में एक राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया था कि प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि राजस्व ग्राम बलदेवनगर में खेत खसरा संख्या 47 रकबा 61.08 बीघा का आया हुआ है इसमें आने जाने हेतु कोई राजकीय कटान मार्ग नहीं है, हमारे पाड़ौस के खेत खसरा संख्या 52/1 में से ही आ जा सकते है। इसी रास्ते से होकर हमारे खेत तक आ जा सकते है जिसका उपयोग कई वर्षों से लगातार रास्ते के रूप में लेते आ रहे हैं। उपरोक्त रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने हेतु हस्तगत आवेदन अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत प्रकरण में अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की जा रही है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। उपस्थित दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन कैम्प कोर्ट में अपीलांटस की अनुपस्थिति में पारित किया गया। पत्रावली सुनवाई हेतु कैम्प कोर्ट में रखी गई इस बाबत अपीलांटस को कोई सूचना/नोटिस नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तावित रास्ते के स्थान पर कभी भी रास्ता नहीं रहा तथा मौका रिपोर्ट के इंतजार में पत्रावली चल रही थी। कैम्प कोर्ट में बैठे बैठे पटवारी हल्का व आर आई ने मौका रिपोर्ट उतरदाता संख्या 01 से मिली भगत कर एकपक्षीय रूप से राजस्व लोक अदालत में तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय में पेश की। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस जगह रास्ता प्रस्तावित किया गया वहां

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

मौके पर अपीलकर्ता की पुरानी ढाणी बनी हुई है। उतरदाता के खातेदारी खेत तक आने जाने हेतु खसरा संख्या 42 में रास्ता प्रचलित है उक्त तथ्यों को आर आई ने छुपाया। रेस्पोडेंटगण/प्रार्थी के पास वैकल्पिक रास्ते का विकल्प मौजूद होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस पर गौर किये बिना अपीलाधीन आलोच्य आदेश पारित किया गया। रेस्पोडेंटस द्वारा अपीलांट को तंग एवं परेशान करने की नियत से अपीलाधीन आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विरूद्ध जाकर पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

रेस्पोडेंट के अधिवक्ता ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के नाम जारी सम्मन पर अपीलांट की पर्याप्त तामील करवाई गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश मजमे आम में बहस सुनने के पश्चात पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो मौका रिपोर्ट मंगवाई गई उसके आधार पर रेस्पोडेण्टस/प्रार्थी के खातेदारी भूमि में आने–जाने के लिए इस रास्ते के अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। अपीलांटस द्वारा अपनी अपील में बताये रास्ते के विकल्प प्रस्तावित रास्ते से कही अधिक दूरी के है। इसलिए रेस्पोडेंट को उक्त प्रस्तावित रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है। रास्ता रेस्पोडेंट/प्रार्थी की मूलभूत आवश्यकता है जिसका प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए में किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील पेश कर प्रकरण को अनावश्यक लंबा किया जा रहा है। अतः अपीलांट की अपील खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को यथावत रखा जावे।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायायल द्वारा अपीलाधीन आदेश उभयपक्ष की उपस्थिति में मजमे आम में बाद सुनवाई पश्चात पारित किया गया। उसके उपरांत हाजा न्यायालय द्वारा भी अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया लेकिन अपीलांटगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश से प्रदत्त रास्ते के अलावा रेस्पोडेंटस की खातेदारी भूमि तक आने जाने हेतु किसी भी प्रकार के प्रदत्त रास्ते से निकटतम वैकल्पिक रास्ता का विकल्प नहीं बताया गया। अंतर्गत 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आवेदन एक समरी प्रक्रिया है जिसमें तकनीकी आधार पर प्रकरण का निस्तारण कर रेस्पोडेंटस को मिले रास्ते के वैधानिक अधिकार से महरूम नहीं रखा जा सकता। अधीनस्थ

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

न्यायालय द्वारा प्रस्तावित रास्ते के अलावा उक्त खसरे तक पहुचने हेतु कोई निकटतम विकल्प नहीं है। अपीलांटस द्वारा अपनी अपील में आपति की है कि तहसीलदार स्वयं द्वारा मौका नहीं देखा गया जबकि माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के लौट में ऐसे न्यायिक दृष्टांत है जिसमें यह प्रतिपादित किया गया है कि भू अभिलेख निरीक्षक रैंक के कर्मचारी द्वारा रास्ते के मामले में मौका देखा जाना न्यायसंगत है इसलिए अपीलांट की उक्त आपति में कोई सार नहीं है। रेस्पोडेंटस/प्रार्थी को रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता और अन्य कोई विकल्प उपलब्ध नहीं होने से न्यूनतम दूरी वाला रास्ता दिया गया है जो नितांत विधि सम्मत एवं युक्तिसंगत है। अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए बाद विस्तृत विवेचन दिया है जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती। अपीलांटगण की केवल हठधर्मिता के मद्देनजर रेस्पोडेंट/प्रार्थीगण को उसको मिले रास्ते के विधिक अधिकार से वंचित रखना न्यायोचित नहीं है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 213/2015 बअनवान नरसिगाराम बनाम अर्जूनसिंह वगैरा में पारित आदेश दिनांक 03.06.2017 को यथावत रखा जाता है।

(प्रविण पिलानिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 08.12.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर